रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 168] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 31, 2014/चैत्र 10, 1936
No. 168] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 31, 2014/CHAITRA 10, 1936

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2014

सा.का.नि. 233(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक और अनुच्छेद 148 के खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों के संबंध में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से परामर्श करने के पष्चात केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) तीसरा संशोधन नियम, 2014 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2.केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 में,-

(क) नियम 53 के उपनियम (1) में, "या प्ररूप 2 में, जो भी मामले की परिस्थितियों में उपयुक्त हो," शब्दों और अंकों का लोप किया जाएगा ;

(ख) प्ररूप 1 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

''प्ररूप 1

उपदान, साधारण भविष्य निधि और केंद्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा स्कीम के लिए सामान्य नाम निर्देशन प्ररूप

[केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 का नियम 53, साधारण भविष्य निधि (केंद्रीय सेवाएं) नियम ,1960 का नियम 5 और केंद्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा स्कीम, 1980 का पैरा 19.7 देखें]

मैं..नीचे वर्णित व्यक्ति/व्यक्तियों को नाम निर्दिष्ट करता हूं और उस/उन पर मेरी मृत्यु की दशा में नीचे विनिर्दिष्ट सीमा तक निम्नलिखित के लेखे रकम प्राप्त करने का अधिकार प्रदत्त करता हूं : --

(i) कोई उपदान, जिसका संदाय केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 50 के अधीन प्राधिकृत किया जाए ;

(ii) कोई रकम, जो साधारण भविष्य निधि में मेरे खाते में हो ;

(iii) कोई रकम, जो केंद्रीय सरकार द्वारा केंद्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा स्कीम, 1980 के अधीन स्वीकृत की जाए ।

नाम निर्देशिती का नाम, जन्म तारीख और पता	कर्मचारी/पेंशनभोगी से नातेदारी	प्रत्येक को संदत्त किया जाने वाला भाग	यदि नाम निर्देशिती अवयस्क है तो उस व्यक्ति का नाम और जन्म तारीख, जो अवयस्क के निमित्त रकम प्राप्त कर सकेगा	स्तंभ (1) के अधीन नामा निर्देशिती की कर्मचारी/पेंशनभोगी से पूर्व मृत्यु की दशा में वैकल्पिक नाम निर्देशिती का नाम, जन्म तारीख और पता	प्रत्येक को संदत्त किया जाने वाला भाग	उस व्यक्ति का नाम, जन्म तारीख और पता, जो स्तंभ (5) में वैकल्पिक नाम निर्देशिती के अवयस्क होने की दशा में रकम प्राप्त कर सकेगा	वह आकस्मिकता, जिसके घटित होने पर नाम निर्देशन अविधिमान्य हो जाएगा
1	2	3	4	5	6	7	8

यह नाम निर्देशन पूर्व में मेरे द्वारा किए गए किन्ही नाम निर्देशनों को अधिक्रान्त करेंगे ।

स्थान और तारीख :

सरकारी सेवक के हस्ताक्षर

टेलीफोन नं.

टिप्पण 1 - उन फायदों को पूरी तरह काट दें जिसके लिए नाम निर्देशन आशयित नहीं है । पूर्वोक्त फायदा (i), (ii) और (iii) के लिए विभिन्न व्यक्तियों को नाम निर्देशित किए जाने के लिए इस नाम निर्देशन प्ररूप की पृथक् प्रतियों का उपयोग किया जा सकेगा ।

टिप्पण 2 - सरकारी सेवक अंतिम प्रविष्टि के नीचे खाली स्थान पर तिरछी रेखाएं खींचेगा ताकि उसके हस्ताक्षर करने के पश्चात् किसी नाम को अंतःस्थापित करने से निवारित किया जा सके । नाम निर्देशिती/वैकल्पिक नाम निर्देशिती के भाग मिलकर संपूर्ण रकम को कवर करेंगे ।

(कार्यालय अध्यक्ष/प्राधिकृत राजपत्रित अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)

निम्नलिखित नियमों के अधीन श्री/श्रीमती/कुमारी................................ पदनाम................. कार्यालय............ द्वारा किए गए नाम निर्देशन, तारीख................., प्राप्त किए,-

1. केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972

2. साधारण भविष्य निधि (केंद्रीय सेवाएं) नियम ,1960

3. केंद्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा स्कीम, 1980

(अप्राप्त नाम निर्देशन को काट दें)

सेवा पंजिका के पृष्ठ.......................खंड............. पर नाम निर्देशन (नाम निर्देशनों) की प्राप्ति की प्रविष्ट कर ली गई है ।

कार्यालय अध्यक्ष /प्राधिकृत राजपत्रित अधिकारी का नाम, हस्ताक्षर और पदनाम, मुहर सहित

प्राप्ति की तारीख...............

प्राप्त करने वाला अधिकारी, पूर्वोक्त सूचना को भरेगा और सम्यक् रूप से पूर्ण प्ररूप की एक हस्ताक्षरित प्रति सरकारी सेवक को लौटाएगा जो उसे सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा ताकि वह उसकी मृत्यु की दशा में फायदाग्राहियों के कब्जे में आ सके ।

प्राप्त करने वाला अधिकारी अपने तारीख सहित हस्ताक्षर, इस प्ररुप के दोनों पृष्ठों पर करेगा।"

(घ) प्ररूप 2 का लोप किया जाएगा ।

[फा. सं. 1/12(i)/2013-पी एंड पी डब्ल्यू ई]

वंदना शर्मा, संयुक्त सचिव

टिप्पण --मूल नियम अधिसूचना संख्या का.आ. 934, तारीख 1 अप्रैल, 1972 द्वारा प्रकाशित किए गए थे । नियमों का चौथा जुलाई, 1988 तक सही किया गया संस्करण वर्ष 1988 में प्रकाशित किया गया था । उक्त नियम तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचना संख्यांओं द्वारा संशोधित किए गए थे-

1. का. आ. 254, तारीख 4 फरवरी, 1989
2. का. आ. 970, तारीख 6 मई, 1989
3. का. आ. 2467, तारीख 7 अक्तूबर, 1989
4. का. आ. 899, तारीख 14 अप्रैल, 1990
5. का. आ. 1454, तारीख 26 मई, 1990
6. का. आ. 2329, तारीख 8 सितंबर, 1990
7. का. आ. 3269, तारीख 8 दिसंबर, 1990
8. का. आ. 3270, तारीख 8 दिसंबर, 1990
9. का. आ. 3273, तारीख 8 दिसंबर, 1990
10. का. आ. 409, तारीख 9 फरवरी, 1991
11. का. आ. 464, तारीख 16 फरवरी, 1991
12. का. आ. 2287, तारीख 7 सितंबर, 1991
13. का. आ. 2740, तारीख 2 नवंबर, 1991

14. सा.का.नि. 677, तारीख 7 दिसंबर, 1991
15. सा.का.नि. 39, तारीख 1 फरवरी, 1992
16. सा.का.नि. 55, तारीख 15 फरवरी, 1992
17. सा.का.नि.570, तारीख 19 दिसंबर, 1992
18. का. आ. 258, तारीख 13 फरवरी, 1993
19. का.आ. 1673, तारीख 7 अगस्त, 1993
20. सा.का.नि. 449, तारीख 11 सितंबर, 1993
21. का.आ. 1984, तारीख 25 सितंबर, 1993
22. सा.का.नि. 389(अ), तारीख 18 अप्रैल्, 1994
23. का.आ. 1775, तारीख 19 जुलाई, 1997
24. का.आ. 259, तारीख 30 जनवरी, 1999
25. का.आ. 904(अ), तारीख 30 सितंबर, 2000
26. का.आ. 717 (अ), तारीख 27 जुलाई, 2001
27. सा.का.नि. 75 (अ), तारीख 1 फरवरी, 2002
28. का.आ. 4000, तारीख 28 दिसंबर, 2002
29. का.आ. 860 (अ), तारीख 28 जुलाई, 2003
30. का.आ. 1483 (अ), तारीख 30 दिसंबर, 2003
31. का.आ. 1487 (अ), तारीख 14 अक्तूबर, 2005
32. सा.का.नि. 723 (अ), तारीख 23 नवंबर, 2006
33. का.आ. 1821 (अ), तारीख 25 अक्तूबर, 2007
34. सा.का.नि. 258(अ), तारीख 31 मार्च, 2008
35. का.आ. 1028 (अ), तारीख 25 अप्रैल, 2008
36. का.आ. 829(अ), तारीख 12 अप्रैल, 2010
37. सा.का.नि.176, तारीख 8 जून, 2011
38. सा.का.नि.928 (अ), तारीख 26 दिसंबर, 2012
39. सा.का.नि.938 (अ), तारीख 27 दिसंबर, 2012
40. सा.का.नि. 103(अ), तारीख 21फरवरी, 2014
41. सा.का.नि. 138 (अ), तारीख 3 मार्च, 2014

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Pension and Pensioners' Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th March, 2014

G.S.R. 233(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 and clause (5) of article 148 of the Constitution and after consultation with the Comptroller and Auditor General of India in relation to persons serving in the Indian Audit and Accounts Department, the

President hereby makes the following rules further to amend the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972, namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Civil Services (Pension) Third Amendment Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972, -

(a) in rule 53, in sub-rule (1), the words and figure "or 2, as may be, as appropriate in the circumstances of the case" shall be omitted;

(b) for Form 1, the following shall be substituted, namely:–

"Form 1

Common Nomination Form for Gratuity, General Provident Fund and Central Government Employees' Group Insurance Scheme

[See Rule 53 of CCS (Pension) Rules, 1972, Rule 5 of General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960 and Para 19.7 of Central Government Employees' Group Insurance Scheme, 1980]

I, ..., hereby nominate the person/persons mentioned below and confer on him/her/them the right to receive in the event of my death, to the extent specified below, amount on account of the following:-

(i) any gratuity the payment of which may be authorised under rule 50 of CCS (Pension) Rules

(ii) amount that may stand to my credit in the General Provident Fund

(iii) any amount that may be sanctioned by the Central Government under the Central Government Employees Group Insurance Scheme, 1980

Name, date of birth (DOB) and address of the nominee	Relation-ship with employee/ pensioner	Share to be paid to each	If nominee is minor, name, DOB and address of person who may receive the amount on behalf of minor	Name, DOB, relationship and address of alternate nominee in case the nominee under Column (1) predeceases the employee/ pensioner	Share to be paid to each	Name, DOB and address of person who may receive the amount if alternate nominee in Col. (5) is a minor	Contingency on happening of which nomination shall become invalid
1	2	3	4	5	6	7	8

These nominations supersede any nominations made by me earlier.

Place and date:

Signature of Government servant

Telephone No.

Note 1 : Completely strike out the benefits for which nomination is not intended to be made. Separate copies of this nomination Form may be used for nominating different persons for benefits (i), (ii) and (iii) above.

Note 2 : The Government servant shall draw lines across the blank space below the last entry to prevent the insertion of any name after he/she has signed. The nominee(s)/alternate nominee(s)' shares together should cover the whole amount.

(To be filled in by the Head of Office/authorised Gazetted Officer)

Received the nominations, dated …………., under the following Rules :—

1. Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 for Gratuity
2. General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960
3. Central Government employees Group Insurance Scheme, 1980

made by Shri/Smt./Kumari...................................

Designation...

Office

(Strike out which nomination is not received)

Entry of receipt of nomination(s) has been made in page …………Volume……….of Service Book.

Name, Signature and Designation of Head of Office/authorised Gazetted Officer with seal

Date of receipt..

The receiving Officer will fill the above information and return a duly signed copy of the complete Form to the Government servant who should keep it in safe custody so that it may come into the possession of the beneficiaries in the event of his/her death.

The receiving officer shall put his/her dated signature on both pages of this Form.";

(c) Form 2 shall be omitted.

[F.No.1/12(i)/2013-P&PW (E)]

VANDANA SHARMA, Jt. Secy.

Note.–The principal rules were published vide number S.O.934, dated the 1st April, 1972. The Fourth Edition of the rules corrected up to July, 1988 was published in the year of 1988. The said rules were subsequently amended vide the following notifications, namely :—

1. S.O. 254, dated the 4th February, 1989
2. S.O. 970, dated the 6th May, 1989
3. S.O. 2467, dated the 7th October, 1989
4. S.O. 899, dated the 14th April, 1990
5. S.O.1454, dated the 26th May, 1990

6. S.O. 2329, dated the 8th September, 1990
7. S.O. 3269, dated the 8th December, 1990
8. S.O. 3270, dated the 8th December, 1990
9. S.O. 3273, dated the 8th December, 1990
10. S.O. 409, dated the 9th February, 1991
11. S.O. 464, dated the 16th February, 1991
12. S.O. 2287, dated the 7th September, 1991
13. S.O. 2740, dated the 2nd November, 1991
14. G.S.R. 677, dated the 7th December, 1991
15. G.S.R. 39, dated the 1st February, 1992
16. G.S.R. 55, dated the 15th February, 1992
17. G.S.R. 570, dated the 19th December, 1992
18. S.O. 258, dated the 13th February, 1993
19. S.O. 1673, dated the 7th August, 1993
20. G.S.R. 449, dated the 11th September, 1993
21. S.O. 1984, dated the 25th September, 1993
22. G.S.R. 389(E), dated the 18th April, 1994
23. S.O. 1775, dated the 19th July, 1997
24. S.O. 259, dated the 30th January, 1999
25. S.O. 904(E), dated the 30th September, 2000
26. S.O. 717(E), dated the 27th July, 2001
27. G.S.R. 75(E), dated the 1st February, 2002
28. S.O. 4000, dated the 28th December, 2002
29. S.O. 860(E), dated the 28th July, 2003
30. S.O. 1483 (E), dated the 30th December, 2003
31. S.O. 1487 (E), dated the 14th October, 2005
32. G.S.R. 723(E), dated the 23rd November, 2006
33. S.O. 1821 (E), dated the 25th October, 2007
34. G.S.R. 258 (E), dated the 31st March, 2008
35. S.O. 1028 (E), dated the 25th April, 2008
36. S.O. 829(E), dated the12th April, 2010
37. G.S.R. 176, dated the 11th June, 2011
38. G.S.R. 928 (E), dated the 26th December, 2012
39. G.S.R. 938 (E), dated the 27th December, 2012
40. G.S.R. 103 (E), dated the 21st February, 2014
41. G.S.R. 138 (E), dated the 3rd March, 2014

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2014

सा.का.नि. 234(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक और अनुच्छेद 148 के खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों के संबंध में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से परामर्श करने के पष्चात साधारण भविष्य निधि (केंद्रीय सेवा) नियम, 1960 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम साधारण भविष्य निधि (केंद्रीय सेवा) संशोधन नियम, 2014 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. साधारण भविष्य निधि (केंद्रीय सेवा) नियम, 1960 में,—

(क) नियम 5 के उपनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

नियम, 1972 के प्ररूप 1 में । "

(ख) पहली अनुसूची का लोप किया जाएगा ।

[फा. सं. 1/12(ii)/2013-पी एंड पी डब्ल्यू ई]

वंदना शर्मा, संयुक्त सचिव

टिप्पण.—मूल नियम अधिसूचना संख्या का.आ. 3000, तारीख 1 दिसंबर, 1960 द्वारा प्रकाशित किए गए थे । नियमों का 29 फरवरी, 1988 तक सही किया गया चौथा संस्करण द्विभाषी रूप में प्रकाशित किया गया था । उक्त नियम तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचना संख्यांओं द्वारा संशोधित किए गए थे :—

1. का. आ. 2002, तारीख 2.9.1989
2. का. आ. 710, तारीख 4.3.1990
3. का. आ. 3006, तारीख 17.11.1990
4. का. आ. 3272, तारीख 8.12.1990
5. का. आ. 146, तारीख 20.3.1993
6. का. आ. 377, तारीख 10.2.1996
7. का. आ. 379, तारीख 10.2.1996
8. का. आ. 3228, तारीख 23.11.1996
9. का. आ. 826, तारीख 25.4.1998
10. का. आ. 2500, तारीख 5.12.1998
11. का. आ. 2690, तारीख 16.9.2003
12. का. आ. 1485(अ), तारीख 30.12.2003
13. का. आ. 3682, तारीख 15.10.2005
14. सा.का.नि.1529, तारीख 6.6.2009
15. सा.का.नि. 2689, तारीख 3.10.2010
16. का. आ. 3091, तारीख 25 सितंबर, 2012

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th March, 2014

G.S.R. 234(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 and clause (5) of article 148 of the Constitution and after consultation with the Comptroller and Auditor General of India in relation to persons serving in the Indian Audit and Accounts Department, the President hereby makes the following rules further to amend the General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960, namely :—

1. (1) These rules may be called the General Provident Fund (Central Services) Amendment Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960, –

(a) in rule 5, for sub-rule (3), the following shall be substituted, namely:–

"(3) Every Nomination shall be made in a common nomination form, namely, Form 1 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972."

(b) First Schedule shall be omitted.

[F.No.1/12(ii)/2013-P&PW (E)]

VANDANA SHARMA, Jt. Secy.

Note.– The General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960, were published vide S.O. 3000, dated 1.12.1960. The Fourth re-print of the Rules (corrected up to 29.2.1988) have since been published in diglot form. The said rules were subsequently amended vide following Notifications, namely:–

1. S.O. 2002, dated 2.9.1989
2. S.O. 710, dated 4.3.1990
3. S.O. 3006, dated 17.11.1990
4. S.O. 3272, dated 8.12.1990
5. S.O. 146, dated 20.3.1993
6. S.O. 377, dated 10.2.1996
7. S .O. 379, dated 10.2.1996
8. S .O. 3228, dated 23.11.1996
9. S .O. 826, dated 25.4.1998
10. S .O. 2500, dated 5.12.1998
11. S .O. 2690, dated 16.9.2003
12. S .O. 1485 (E), dated 30.12.2003
13. S .O. 3682, dated 15.10.2005

14. S .O. 1529, dated 6.6. 2009

15. S .O. 2689, dated 03.10. 2010

16. S.O. 3091, 25th September, dated 2012.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2014

सा.का.नि. 235(अ).—राष्ट्रपति, पेंशन अधिनियम, 1871 (1871 का 23) की धारा 15 और संविधान के अनुच्छेद 148 के खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों के संबंध में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से परामर्ष करने के पष्चात् पेंशन बकाया संदाय (नाम निर्देशन) नियम, 1983 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पेंशन बकाया संदाय (नाम निर्देशन) संशोधन नियम, 2014 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पेंशन बकाया संदाय (नाम निर्देशन) नियम, 1983 में,—

(क) नियम 5 में,—

(i) उपनियम (5) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(5) किसी पेंशनभोगी द्वारा उसके नाम निर्देशन का उपांतरण करने के मामलों में, जिसके अंतर्गत वे मामले भी हैं, जहां नाम निर्देशिती की पेंशनभोगी से पूर्व मृत्यु हो जाती है तो पेंशन संवितरण प्राधिकारी को प्ररूप 'क' में तीन प्रतियों में एक नया नाम निर्देशन उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट रीति में प्रस्तुत किया जाएगा और तत्पश्चात् उपनियम (2) के उपबंध उपांतरणों, यदि कोई हों, सहित यथावश्यक परिवर्तन सहित जैसा कि उपनियम (1) के अधीन किए गए थे, लागू होंगे ।";

(ii) उपनियम (6) का लोप किया जाएगा ;

(ख) नियम 8 में, "गृह मंत्रालय (कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)" शब्दों के स्थान पर, "कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग) " शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) प्ररूप क के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"प्ररूप क

(पेंशन बकाया और पेंशन संराशीकरण के लिए सामान्य नाम निर्देशन प्ररूप)

[पेंशन बकाया संदाय (नाम निर्देशन) नियम, 1983 का नियम 5 और केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन संराशीकरण) नियम, 1981 का नियम 7 देखें]

नाम निर्देशिती का नाम, जन्म तारीख (जन्म तारीख) और पता	कर्मचारी/पेंशनभोगी से नातेदारी	प्रत्येक को संदत्त किया जाने वाला भाग	यदि नाम निर्देशिती अवयस्क है तो उस व्यक्ति का नाम और जन्म तारीख, जो अवयस्क के निमित्त रकम प्राप्त कर सकेगा	स्तंभ (1) के अधीन नाम निर्देशिती की कर्मचारी/पेंशनभोगी से पूर्व मृत्यु की दशा में वैकल्पिक नाम निर्देशिती का नाम, जन्म तारीख और पता	कर्मचारी/पेंशनभोगी से नातेदारी	उस व्यक्ति का नाम, जन्म तारीख और पता, जो स्तंभ (5) में वैकल्पिक नाम निर्देशिती के अवयस्क होने की दशा में रकम प्राप्त कर सकेगा	वह आकस्मिकता, जिसके घटित होने पर नाम निर्देशन अविधिमान्य हो जाएगा
1	2	3	4	5	6	7	8

यह नाम निर्देशन पूर्व में मेरे द्वारा किए गए किन्हीं नाम निर्देशनों को अधिक्रान्त करेंगे ।

स्थान और तारीख :

सरकारी सेवक के हस्ताक्षर

टेलीफोन नं0

टिप्पण 1 - उन फायदों को पूरी तरह काट दें जिसके लिए नाम निर्देशन आशयित नहीं है । पूर्वोक्त फायदा (i) और (ii) के लिए विभिन्न व्यक्तियों को नाम निर्देशित किए जाने के लिए इस नाम निर्देशन प्ररूप की पृथक् प्रतियों का उपयोग किया जा सकेगा ।

टिप्पण 2 - सरकारी सेवक अंतिम प्रविष्टि के नीचे खाली स्थान पर तिरछी रेखाएं खींचेगा ताकि उसके हस्ताक्षर करने के पश्चात् किसी नाम को अंतःस्थापित करने से निवारित किया जा सके । नाम निर्देशिती/वैकल्पिक नाम निर्देशिती के भाग मिलकर संपूर्ण रकम को कवर करेंगे ।

मैं .... नीचे वर्णित व्यक्ति/व्यक्तियों को नाम निर्दिष्ट करता हूं और उस/उन पर मेरी मृत्यु की दशा में नीचे विनिर्दिष्ट सीमा तक निम्नलिखित के लेखे रकम प्राप्त करने का अधिकार प्रदत्त करता हूं : --

(i) पेंशन का बकाया ;

(ii) केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन संराशीकरण) नियम, 1981 के अधीन संदेय पेंशन का संराशीकृत मूल्य

(कार्यालय अध्यक्ष / प्राधिकृत राजपत्रित अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)

निम्नलिखित नियमों के अधीन श्री/श्रीमती/कुमारी .... पदनाम........................... कार्यालय............ द्वारा किए गए नाम निर्देशन, तारीख ...., प्राप्त किए,-

1. पेंशन बकाया संदाय (नाम निर्देशन) नियम, 1983

2. केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन संराशीकरण) नियम, 1981

(अप्राप्त नाम निर्देशन को काट दें)

सेवा पंजिका के पृष्ठ .... खंड .... पर नाम निर्देशन (नाम निर्देशनों) की प्राप्ति की प्रविष्टि कर ली गई है ।

कार्यालय अध्यक्ष/प्राधिकृत राजपत्रित अधिकारी का नाम, हस्ताक्षर और पदनाम

प्राप्ति की तारीख ....

प्राप्त करने वाला अधिकारी, पूर्वोक्त सूचना को भरेगा और सम्यक् रूप से पूर्ण प्ररूप की एक हस्ताक्षरित प्रति सरकारी सेवक को लौटाएगा जो उसे सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा ताकि वह उसकी मृत्यु की दशा में फायदाग्राहियों के कब्जे में आ सके ।

प्राप्त करने वाला अधिकारी अपने तारीख सहित हस्ताक्षर, इस प्ररुप के दोनों पृष्ठों पर करेगा।"

(घ) प्ररूप ख का लोप किया जाएगा ।

[फा. सं. 1/12(iii)/2013-पी एंड पी डब्ल्यू (ई)]

वंदना षर्मा, संयुक्त सचिव

टिप्पण -- मूल नियम का0आ0 3478, तारीख 10 सितंबर, 1983 द्वारा प्रकाशित किए गए थे ।

1. का0आ0 789, तारीख 17/03/1984

2. का0आ0 4351, तारीख 15/12/1984

3. का0आ0 73, तारीख 11/01/1986

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th March, 2014

G.S.R. 235(E).—In exercise of the powers conferred by section 15 of the Pensions Act, 1871 (23 of 1871) and clause (5) of article 148 of the Constitution and after consultation with the Comptroller and Auditor General of India in relation to persons serving in the Indian Audit and Accounts Department, the President hereby makes the following rules further to amend the Payment of Arrears of Pension (Nomination) Rules, 1983, namely:-

1. (1) These rules may be called the Payment of Arrears of Pension (Nomination) Amendment Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Payment of Arrears of Pension (Nomination) Rules, 1983,–

(a) in rule 5,–

(i) for sub-rule (5), the following shall be substituted, namely –

"(5) In cases where a pensioner wants to modify his/her nomination, including cases where a nominee predeceases the pensioner, a fresh nomination shall be submitted in triplicate in Form 'A' to the Pension Disbursing Authority in the manner specified in sub-rule (1) and thereafter the provisions of sub-rule (2) shall apply mutatis mutandis with modifications as if it was made under sub-rule (1).";

(ii) sub-rule (6), shall be omitted;

(b) in rule 8, for the words "Ministry of Home Affairs (Department of Personnel and Administrative Reforms", the words "Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Pension & Pensioners' Welfare)" shall be substituted;

(c) for Form A, the following shall be substituted, namely:–

"Form A

(Common Nomination Form for Arrears of Pension and Commutation of Pension)

[See Rule 5 of Payment of Arrears of Pension (Nomination) Rules, 1983 and Rule 7 of Central Civil Services (Commutation of Pension) Rules, 1981]

I, ..., hereby nominate the person/persons mentioned below and confer on him/her/them the right to receive in the event of my death, to the extent specified below, amount on account of the following:-

(i) Arrears of Pension

(ii) Commuted Value of Pension payable under Central Civil Services (Commutation of Pension) Rules, 1981

Name, date of birth (DOB) and address of the nominee	Relation-ship with employee/ pensioner	Share to be paid to each	If nominee is minor, name, DOB and address of person who may receive the amount on behalf of minor	Name, DOB and address of alternate nominee in case the nominee under Column (1) predeceases the employee/ pensioner	Relationship with empl-oyee/ pensi-oner	Name, DOB and address of person who may receive the amount if alternate nominee in Col. (5) is a minor	Contingency on happening of which nomination shall become invalid
1	2	3	4	5	6	7	8

These nominations supersede any nominations made by me earlier.

Place and date:

Signature of Government servant/Pensioner

Telephone No.

Note 1 : Completely strike out the benefit for which nomination is not intended to be made. Separate copies of this nomination Form may be used for nominating different persons for benefits (i) and (ii) above.

Note 2 : The Government servant shall draw lines across the blank space below the last entry to prevent the insertion of any name after he/she has signed. The nominee(s)/alternate nominee(s)' shares together should cover the whole amount.

(To be filled in by the Head of Office/ authorised Gazetted Officer)

Received the nominations, dated …………., under the following Rules:-

1. Payment of Arrears of Pension (Nomination) Rules, 1983
2. Central Civil Services (Commutation of Pension) Rules, 1981

made by Shri/Smt./Kumari....................................

Designation..

Office

(Strike out which nomination is not received)

Entry of receipt of nomination(s) has been made in page …………Volume……….of Service Book.

Name, Signature and Designation of Head of Office/authorised Gazetted Officer with seal

Date of receipt..

The receiving Officer will fill the above information and return a duly signed copy of the complete Form to the Government servant who should keep it in safe custody so that it may come into the possession of the beneficiaries in the event of his/her death.

The receiving officer shall put his/her dated signature on both pages of this Form."

(d) Form B shall be omitted.

[F.No.1/12(iii)/2013-P&PW (E)]

VANDANA SHARMA, Jt. Secy.

Note.– The principal rules were published vide number S.O.3478, dated the 10th September, 1983 and were subsequently amended vide following Notifications of Department of Pension and Pensioners Welfare, namely:–

1. S.O. 789, dated the 17th March, 1984
2. S.O. 4351, dated the 15th December, 1984
3. S.O. 73, dated the 11th January, 1986

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2014

सा.का.नि. 236(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक और अनुच्छेद 148 के खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों के संबंध में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से परामर्ष करने के पष्चात केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन संराशीकरण) नियम, 1981 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन संराशीकरण) संशोधन नियम, 2014 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन संराशीकरण) नियम, 1981 में,-

(क) नियम 7 के उपनियम (1) में, " प्ररूप 5" शब्द और अंक के स्थान पर, ।"पेंशन बकाया संदाय (नाम निर्देशन) नियम, 1983 का प्ररूप क" शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ख) प्ररूप 5 का लोप किया जाएगा ।

[फा. सं. 1/12(iv)/2013-पी एंड पी डब्ल्यू (ई)]

वंदना शर्मा, संयुक्त सचिव

टिप्पण - केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन संराशीकरण) नियम, 1981 का0आ0 1134, तारीख 11 अप्रैल, 1981 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना सं0 34/1/81-पेंशन एकक, तारीख 8 जुलाई, 1983 द्वारा संशोधित किए

गए थे और तत्पश्चात् पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किए गए थे, अर्थात् :--

1. का0आ0 1870, तारीख 04/05/1985
2. का0आ0 2097, तारीख 18/05/1985
3. का0आ0 1775, तारीख 19/07/1997
4. का0आ0 918, तारीख 28/02/2002
5. का0आ0 1484 (अ), तारीख 30/12/2003
6. का0आ0 2806, तारीख 09/11/2010
7. का0आ0 1964, तारीख 16 जून, 2012

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th March, 2014

G.S.R. 236(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 and clause (5) of article 148 of the Constitution and after consultation with the Comptroller and Auditor General of India in relation to persons serving in the Indian Audit and Accounts Department, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Civil Services (Commutation of Pension) Rules, 1981, namely:-

1. (1) These rules may be called the Central Civil Services (Commutation of Pension) Amendment Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Civil Services (Commutation of Pension) Rules, 1981, –

(a) in rule 7, sub-rule (1), for the words and figure "Form 5'', the words and letter "Form A of the Payment of Arrears of Pension (Nomination) Rules, 1983" shall be substituted;

(b) Form 5 shall be omitted.

[F.No.1/12(iv)/2013-P&PW (E)]

VANDANA SHARMA, Jt. Secy.

Note. – The Central Civil Services (Commutation of Pension) Rules, 1981 were published vide S.O.1134, dated 11th April, 1981 and amended vide notification No. 34/1/81 Pension Unit dated the 8th July, 1983 and were subsequently amended vide following Notifications of Department of Pension and Pensioners Welfare, namely:–

1. S.O. 1870, dated 04/05/1985
2. S.O. 2097, dated 18/05/1985
3. S.O. 1775, dated 19/07/1997
4. S.O. 918, dated 28/02/2002
5. S.O. 1484 (E), dated 30/12/2003
6. S.O. 2806, dated 09/11/2010
7. S.O.1964, dated 16th June, 2012

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.